न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री मनमोहन व्यास , आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 196/2018

वादीया :-	बनाम	प्रतिवादी
1. बाबुलाल पुत्र हरकाराम 2. जीयराम पुत्र हरकाराम 3. पिसता पुत्री हरकाराम 4. ढ्गलाई पत्नी हरकाराम जाति-जाट, निवासी-डिगरना, तहसील-जैतारण,जिला-पाली (राज.)		1. रामस्वरूप पुत्र घेवरराम 2. हापूराम पुत्र घेवरराम जाति-जाट, निवासी-डिगरना, तहसील-जैतारण जिला-पाली (राज.)

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकार अधिनियम 1955 तारीख रजू:.18/07/2018

उपस्थितः. 1. श्री ओमप्रकाश पंचारियां, अमित त्रिपाठी अधिवक्ता, वादी।

-:: निर्णय ::- दिनॉकः- 11/06/2019

वकील मय वादीया ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्ग धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरूद्ध वादी इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि राजस्व मौजा-डिगरना, तहसील-जैतारण में वादीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 761 रकबा 5-14 बीघा किस्म बारानी दोयम आयी हुई है। कृषि भूमि पैतृक पुश्तैनी है। जो वादीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबंदियों से स्पष्ट है। तथा वादीगण खातेदार काश्तकार व मौके पर कब्जे काश्त में है। तथा उक्त कृषि भूमि पर कब्जा काश्त है जो वादीगण द्वारा प्रस्तुत गिरदावरी से साबित है। तथा वादीगण के खेत के चारों ओर खंदक लगी हुई है। वर्तमान में बरसात का मौसम हैं वादीगण अपने खेत में ट्रेक्टर लेकर बुआई हेतु दिनांक 10/07/2018 को गये तथा खेत में तिल की फसल की बुआई कर रहे थे। इतने में प्रतिवादीगण मौके पर आये व वादीगण को बुआई करने से मना किया तब वादीगण ने यह कहां कि उक्त कृषि भूमि हमारे खातेदारी व कब्जे काश्त की है। प्रतिवादीगण का कोई हक अधिकार नहीं है। फिर भी प्रतिवादीगण दखलंदाजी करने लग गये। यदि प्रतिवादीगण बिना किसी हक अधिकार के व धनबल लाठी के बल पर दखलंदाजी व गैर कानूनी कृत्य करते है तो वादीगण के हक अधिकार प्रभावित हो रहे है। इसलिए उपरोक्त कारणों से वादीगण ने यह वाद स्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध प्रतिवादीगण के पेश है। बिनाय वाद दिनांक 10/07/2018 को वादीगण के खेत मे फसल की बुआई कर रहे थे तब प्रतिवादीगण ने बुआई करने से मना किया व दखलंदाजी करने लगे तब बमुकाम डिगरना तहसील जैतारण में पैदा हुआ।

वादी का दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण को बावजूद तामिली/ सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। वकील वादी ने वाद के समर्थन में साक्ष्य का शपथ-पत्र पेश किया, सा0मि0 हैं।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद-पत्र मय शपथ-पत्र एवं दस्तावेजात यथा जमाबन्दी का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस वकील वादी पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः वादी राजस्व रेकर्ड स्वयं अपने हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज हैं। प्रतिवादीगण वादीगण के कब्जे काश्त में दखलंदाजी करते है। जबकि प्रतिवादीगण का उक्त आराजी में कोई हक हिस्सा नहीं है। लिहाजा वादीगण के कब्जे काश्त एवं किसी प्रकार की दखलदांजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित समझते है।

-:: आदेश ::-

अतः डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की जाती है कि राजस्व मौजा-डिगरना, तहसील-जैतारण में वादीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 761 रकबा 5-14 बीघा किस्म बारानी दोयम में वादीगण के कब्जे काश्त एवं किसी प्रकार की दखलदांजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाकर पाबंद किया जाता है। डिक्री

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

पर्चा पृथक से बनाया जाकर सा0मि0 हो। पत्रावली फेसल शुमार होकर नम्बर से कम हो, बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

दिनांक आज दिनॉक 11/06/2019 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner